क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
एफ–5, यमुनापुरम, बुलन्दशहर–203001
Regional Office
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
F-5, Yamunapuram, Bulandshahr-203001

सन्दर्भ संख्या–....45....../बीएस–17/जल सहमति/2018 दिनांक 13.01.18

सेवा में,

मैसर्स शालीमार पेन्ट्स प्रा0लि0,
प्लाट नं0–ए–1, ए–2, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र,
सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

विषयः–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 यथासंशोधित अधिनियम 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया अपने पत्र दिनांक **18.11.2017** का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या ....2458...... सहमति (जल) आदेश/ ....2018.. दिनांक..13.01.18.....को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1 से 15 तक जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया है–

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. **यह सहमति आदेश केवल मिक्सिंग एवं ब्लेन्डिंग प्रकिया द्वारा पेन्ट्स एण्ड वार्निश आदि विस्तारीकरण के उपरान्त लगभग–40,000 किली0/वर्ष के उत्पादन हेतु मान्य है।**
3. जल सप्लाई के श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। मीटर की रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेंजे।
4. आपके उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्श शीट के प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र वैधता अवधि के प्रत्येक वर्ष प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि अपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।
5. घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट या अन्य शुद्धिकरण संयत्र की व्यवस्था इस प्रकार किया जाये की उससे जनित उत्प्रवाह की मात्रा मानको के अनुरूप रहे।
6. कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हो।
7. उद्योग परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
8. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

.........2/–

9. यह सहमति आदेश उद्योग के सहमति आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2017 में अंकित उत्पादन **मिक्सिंग एवं ब्लेन्डिंग प्रकिया द्वारा पेन्ट्स एण्ड वार्निश आदि विस्तारीकरण के उपरान्त लगभग–40,000 किली0/वर्ष** के लिए वैध है।

10. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 यथा सशोधित नियम में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

11. उद्योग पर सहमति शुल्क बकाया होने की स्थिति में देय होगा।

12. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये कि उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन/उत्प्रवाह का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आसपास के पर्यावरण/आबादी पर न पड़े तथा नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्त्रोत का जल प्रदूषित ना हों।

13. शिकायत प्राप्त होने एवं जॉच में पुष्टि होने की स्थिति में सहमति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, जो आपको मान्य होगा।

14. यह सहमति वर्तमान सूचित दैनिक उत्पादन मात्रा हेतु विधिमान्य होगी। उद्योग में उत्पादन क्षमता विस्तार अथवा किसी नये प्लाण्ट/मशीनरी की स्थापना पूर्व राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

15. सहमति आदेश के अन्तर्गत आरोपित शर्तों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की दशा में आपको आपको जारी सहमति निरस्त की जा सकती है।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुये भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो, वह परिवर्तन व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

<u>संलग्नक : उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय

(जी0एस0 श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
एफ–5, यमुनापुरम, बुलन्दशहर–203001
Regional Office
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
F-5, Yamunapuram, Bulandshahr-203001

सहमति आदेश पत्र

संख्या–........2452........ / सहमति (जल) आदेश / 2018 दिनांक........13.01.18........

विषयः–सहमति **मैसर्स शालीमार पेन्ट्स प्रा0लि0, प्लाट नं0–ए–1, ए–2, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर,** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 / 26 के अर्न्तगत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

सन्दर्भ –आवेदन संख्या...............**शून्य**............ दिनांक **18.11.2017**

जल राशि या सीवर में भूमि पर वहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा है, के अधीन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त आवेदन पत्र के निर्देश में **मैसर्स शालीमार पेन्ट्स प्रा0लि0, प्लाट नं0–ए–1, ए–2, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर** को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू / औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता / नदी / कुएं / भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित समान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार किया जाता है।

1 यह सहमति दिनांक **31.12.2022** अवधि तक मान्य है।

2 इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो लागू हो, का अधिकारी व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

अनुलग्नक : संलग्नक (सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

..........2 / –

उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बुलन्दशहर।

संलग्नक सहमति आदेश संख्या–......2452..../जल सहमति/आदेश.../2018......

दिनांक ......13.01.18......

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण घनमी0	अधिकतम प्रति घंटे निस्तारण घनमी0
i. घरेलू– 0.5 KLD		
ii. औद्योगिक–8.5 KLD		
iii. (अ) प्रक्रिया जल ब्लीड	धोने जल सहित	
(ब) शीतलन जल		

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह एकत्र करने के लिए अलग–अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनायी जाय, एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल, मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उतप्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम, पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई भी उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टार्म वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाय, जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

63 सेन्टीग्रेड पर 3 दिन की बीओडी	30 मिग्रा0/ली0 से अधिक न हो।
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा0/ली0 से अधिक न हो।

4 सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन, उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों का धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा 713/37/83/19 ए0आर0एन0 दिनांक 6–4–83 में निर्धारित के अनुरूप हो।

5 अन्य प्रचालक जिनके मान, मानक न दिये हों उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6 घरेलू तथा औद्योगिक ठोस नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7 विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल में एकत्रित किया जाना चाहिए।

8 शर्त संख्या 2 मे संदर्भित टर्मिनल मेनहोल के ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था कम से कम 15x15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेण्ट कंक्रीट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह मापन तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

9 शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारण किया जाय। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

10 शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु...में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाय। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाय। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनवाया जाय। बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकतानुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवाया जाये।

11 इन शर्तो का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह, मापन, नमूना, एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक...............................या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12 बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक माह की दस तरीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेंजें।

13 विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप की अनुदैर्ध्य काट व ले–आउट तथा शर्त संख्या 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र, इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेंजे।

14 परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली–भॉति रखा जाय और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट न मिलने दिया जाय। कच्चे माल, उत्पादन या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले में ढेर न लगाया जाये।

15 फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थो का भली–भॉति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाय।

अ. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाय कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो, जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।

ब. ज्वलनशील कार्वनिक पदार्थ होने की नियमित प्रज्जवलन किया जाय।

स. जैविक अपघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाय।

16 विषैले पदार्थ का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाय अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टीम ड्रम में रख और दफनाया जाय। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।

यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्रों/संयंत्र में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो, जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्राह की मात्रा बढ जाये और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाये।

17 प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख रखाव स्थापित करें । सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन व रसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए, के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

18 प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

19 शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालको के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाये।

20 प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और इस सहमति आदेश की शर्तो का उल्लंघन करें तो कानून/अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

21 प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणताव मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।

22 उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/सेशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।

23 प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तन निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।

24 एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और उसे बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

25 प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियन्त्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।

26 फैक्ट्री परसिर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नही होने दिया जाये।

27 निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों) प्रोपराइटर (प्रोपराटइटरर्स) के नाम व पते व टेलीफोन की सूची दी जाये।

28 इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार या शक्ति आरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय अधिकारी

....